

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 01/दोसा/2002-2003

यह प्रमाणित किया जाता है कि कौशल्या देवी शिक्षा

समिति मण्डावर जिला दोसा का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से प्राप्त दिनांक 03/04/2002 को सन् एक हजार नौ सौ 2002 को

दोसा में दिया गया।

(Signature)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
दोसा

राजकीय मुद्रालय, उदयपुर।

सचिव

कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दोसा (राज०)

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

प्राप्ति स्थान

किशोर बुक डिपो

गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग
जयपुर-302 001



सचिव

कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दीसा (राज०)

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के
अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)

तथा

संघ-विधान पत्र

कृपया आबेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिषदीय अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही सम्भव होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप पटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा अंकित है।
4. निरक्त स्थानों को पूर्ण संस्था टाटा ही को जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था को प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों के प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी जिसमें कम से कम 15 आवेदक सदस्यों का होना अनिवार्य है।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा - 20

9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात:-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान, कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसारण के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के माध्याम प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या याचनालयों के प्राप्ति या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिये स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, विविधों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

1. राजस्थान राज-एड विशेषांक भाग 4 (7) दिनांक 17-5-1935 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

सचिव

कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

10. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत प्राप्त या उत्पन्न दिये गये निर्देशों को पूर्ति करते हुए विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के राशत्र भाई की फोटो कापी/स्वार्थ निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्ररूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।
12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाने। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा ही प्रमाणित होना चाहिये।
14. प्रपत्र में हस्ताक्षरकर्ता, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदन प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासियों के सदस्य होने चाहिये।
15. प्रपत्र में प्रदर्शित आवेदन प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारियों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रस्तुत को जावे।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्त शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले हाने चाहिये।
19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य प्रिजेंट आवश्यक हैं।
20. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका को प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
21. एक परिवार से एक व्यक्ति को पंजीयन कारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है

22. संस्था के हिस्सेदारों के नामों की सूची

		
1. नाम	2. नाम	3. नाम
4. पता	5. पता	6. पता
7. पता	8. पता	9. पता
10. पता	11. पता	12. पता
13. पता	14. पता	15. पता
16. पता	17. पता	18. पता
19. पता	20. पता	21. पता
22. पता	23. पता	24. पता
25. पता	26. पता	27. पता
28. पता	29. पता	30. पता
31. पता	32. पता	33. पता
34. पता	35. पता	36. पता
37. पता	38. पता	39. पता
40. पता	41. पता	42. पता
43. पता	44. पता	45. पता
46. पता	47. पता	48. पता
49. पता	50. पता	51. पता
52. पता	53. पता	54. पता
55. पता	56. पता	57. पता
58. पता	59. पता	60. पता

सचिव
 पौशाखा देवी शिक्षा समिति
 मण्डावर, दौसा (राज०)

कौशल्या देवी शिक्षा समिति समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है/रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय कौशल्या देवी शिक्षा समिति हस्पीटल रोड मण्डावर (राज.) तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र है/संमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. शिक्षा नीति एवं मौलिक शिक्षा के सिद्धान्तों को लागू करने के लिये सभी वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना।
2. उच्च शिक्षा - वैज्ञानिक शिक्षा के लिये शिक्षक, छात्रों को उत्साहित सामग्री तैयार करना एवं इस क्षेत्र में प्रयोग अनुसंधान करना।
3. शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिये प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा तथा तकनीकी एवं चिकित्सा आदि के क्षेत्र में संस्थाओं को स्थापित करना।
4. समाज के कल्याण के लिये आवश्यक साहित्य का सृजन सम्पादन एवं प्रकाशन करना एवं सभी वर्गों की सृजनशीलता एवं आतिथ्य प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना।
5. 3 - 5 वर्ष निपटण रख पर्यावरण को क्षेत्र में कार्य करना।
6. विभिन्न खेल कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

जगजित शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
पत्री

मुनेश्वर बिहारी
कोषाध्यक्ष


सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, तौसा (राज.)

10. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त प्राप्त का उचित दिये गये निर्देशों को पूर्ण करते हुए विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थायी निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।
12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटरी पब्लिक तथा एजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. प्रारंभिक हस्तलिखित प्रारंभिक, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदन प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासियों के सदस्य होने चाहिये।
15. ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारियों के अनापेक्षित प्रमाण-पत्र द्वारा प्रमाणित की जावे।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत प्रदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाइल) के रूप में पत्र प्राप्त शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होना चाहिये।
19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य डिग्रीट आवश्यक हैं।
20. अन्य संस्थाओं जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका क्षेत्र प्रशिक्षण दिया जाता है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
21. एक परिवार से एक व्यक्ति को पंजीयन कारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है



22 सं
ललि
के लि
23 नी
रति
नोट
रजि



अध्यक्ष



संस्था शाखा प्रभ



परिवार उत्कर्ष प्र
निर्धारित अधिकारी
जान के उपचार


सचिव
 राजस्थान देवी शिक्षा समिति
 के. - जैता (राजग)
 मण्डल

कौशल्या देवी शिक्षा समिति समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है/होगा।
2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय कौशल्या देवी शिक्षा समिति हास्पिटल रोड मण्डावर (राज.) है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. शिक्षा नीति एवं मौलिक शिक्षा के सिद्धांतों को प्रचारित करते हुए सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। एवं शिक्षण-विधि के लिए शिक्षक, कर्मियों एवं साहित्य सामग्री का प्रचार करना एवं इस क्षेत्र में प्रयोग अनुसंधान करना शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा तथा तकनीकी एवं चिकित्सा आदि के क्षेत्र में संस्थानों स्थापित करना।
2. समाज के कल्याण के लिए आवश्यक साहित्य का सृजन सम्पादन एवं प्रकाशन करना एवं सभी प्रकार की सृजनोत्पन्न एवं आवश्यक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना।
3. - 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98- 99- 100- 101- 102- 103- 104- 105- 106- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122- 123- 124- 125- 126- 127- 128- 129- 130- 131- 132- 133- 134- 135- 136- 137- 138- 139- 140- 141- 142- 143- 144- 145- 146- 147- 148- 149- 150- 151- 152- 153- 154- 155- 156- 157- 158- 159- 160- 161- 162- 163- 164- 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176- 177- 178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186- 187- 188- 189- 190- 191- 192- 193- 194- 195- 196- 197- 198- 199- 200- 201- 202- 203- 204- 205- 206- 207- 208- 209- 210- 211- 212- 213- 214- 215- 216- 217- 218- 219- 220- 221- 222- 223- 224- 225- 226- 227- 228- 229- 230- 231- 232- 233- 234- 235- 236- 237- 238- 239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 261- 262- 263- 264- 265- 266- 267- 268- 269- 270- 271- 272- 273- 274- 275- 276- 277- 278- 279- 280- 281- 282- 283- 284- 285- 286- 287- 288- 289- 290- 291- 292- 293- 294- 295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 308- 309- 310- 311- 312- 313- 314- 315- 316- 317- 318- 319- 320- 321- 322- 323- 324- 325- 326- 327- 328- 329- 330- 331- 332- 333- 334- 335- 336- 337- 338- 339- 340- 341- 342- 343- 344- 345- 346- 347- 348- 349- 350- 351- 352- 353- 354- 355- 356- 357- 358- 359- 360- 361- 362- 363- 364- 365- 366- 367- 368- 369- 370- 371- 372- 373- 374- 375- 376- 377- 378- 379- 380- 381- 382- 383- 384- 385- 386- 387- 388- 389- 390- 391- 392- 393- 394- 395- 396- 397- 398- 399- 400- 401- 402- 403- 404- 405- 406- 407- 408- 409- 410- 411- 412- 413- 414- 415- 416- 417- 418- 419- 420- 421- 422- 423- 424- 425- 426- 427- 428- 429- 430- 431- 432- 433- 434- 435- 436- 437- 438- 439- 440- 441- 442- 443- 444- 445- 446- 447- 448- 449- 450- 451- 452- 453- 454- 455- 456- 457- 458- 459- 460- 461- 462- 463- 464- 465- 466- 467- 468- 469- 470- 471- 472- 473- 474- 475- 476- 477- 478- 479- 480- 481- 482- 483- 484- 485- 486- 487- 488- 489- 490- 491- 492- 493- 494- 495- 496- 497- 498- 499- 500- 501- 502- 503- 504- 505- 506- 507- 508- 509- 510- 511- 512- 513- 514- 515- 516- 517- 518- 519- 520- 521- 522- 523- 524- 525- 526- 527- 528- 529- 530- 531- 532- 533- 534- 535- 536- 537- 538- 539- 540- 541- 542- 543- 544- 545- 546- 547- 548- 549- 550- 551- 552- 553- 554- 555- 556- 557- 558- 559- 560- 561- 562- 563- 564- 565- 566- 567- 568- 569- 570- 571- 572- 573- 574- 575- 576- 577- 578- 579- 580- 581- 582- 583- 584- 585- 586- 587- 588- 589- 590- 591- 592- 593- 594- 595- 596- 597- 598- 599- 600- 601- 602- 603- 604- 605- 606- 607- 608- 609- 610- 611- 612- 613- 614- 615- 616- 617- 618- 619- 620- 621- 622- 623- 624- 625- 626- 627- 628- 629- 630- 631- 632- 633- 634- 635- 636- 637- 638- 639- 640- 641- 642- 643- 644- 645- 646- 647- 648- 649- 650- 651- 652- 653- 654- 655- 656- 657- 658- 659- 660- 661- 662- 663- 664- 665- 666- 667- 668- 669- 670- 671- 672- 673- 674- 675- 676- 677- 678- 679- 680- 681- 682- 683- 684- 685- 686- 687- 688- 689- 690- 691- 692- 693- 694- 695- 696- 697- 698- 699- 700- 701- 702- 703- 704- 705- 706- 707- 708- 709- 710- 711- 712- 713- 714- 715- 716- 717- 718- 719- 720- 721- 722- 723- 724- 725- 726- 727- 728- 729- 730- 731- 732- 733- 734- 735- 736- 737- 738- 739- 740- 741- 742- 743- 744- 745- 746- 747- 748- 749- 750- 751- 752- 753- 754- 755- 756- 757- 758- 759- 760- 761- 762- 763- 764- 765- 766- 767- 768- 769- 770- 771- 772- 773- 774- 775- 776- 777- 778- 779- 780- 781- 782- 783- 784- 785- 786- 787- 788- 789- 790- 791- 792- 793- 794- 795- 796- 797- 798- 799- 800- 801- 802- 803- 804- 805- 806- 807- 808- 809- 810- 811- 812- 813- 814- 815- 816- 817- 818- 819- 820- 821- 822- 823- 824- 825- 826- 827- 828- 829- 830- 831- 832- 833- 834- 835- 836- 837- 838- 839- 840- 841- 842- 843- 844- 845- 846- 847- 848- 849- 850- 851- 852- 853- 854- 855- 856- 857- 858- 859- 860- 861- 862- 863- 864- 865- 866- 867- 868- 869- 870- 871- 872- 873- 874- 875- 876- 877- 878- 879- 880- 881- 882- 883- 884- 885- 886- 887- 888- 889- 890- 891- 892- 893- 894- 895- 896- 897- 898- 899- 900- 901- 902- 903- 904- 905- 906- 907- 908- 909- 910- 911- 912- 913- 914- 915- 916- 917- 918- 919- 920- 921- 922- 923- 924- 925- 926- 927- 928- 929- 930- 931- 932- 933- 934- 935- 936- 937- 938- 939- 940- 941- 942- 943- 944- 945- 946- 947- 948- 949- 950- 951- 952- 953- 954- 955- 956- 957- 958- 959- 960- 961- 962- 963- 964- 965- 966- 967- 968- 969- 970- 971- 972- 973- 974- 975- 976- 977- 978- 979- 980- 981- 982- 983- 984- 985- 986- 987- 988- 989- 990- 991- 992- 993- 994- 995- 996- 997- 998- 999- 1000- 1001- 1002- 1003- 1004- 1005- 1006- 1007- 1008- 1009- 1010- 1011- 1012- 1013- 1014- 1015- 1016- 1017- 1018- 1019- 1020- 1021- 1022- 1023- 1024- 1025- 1026- 1027- 1028- 1029- 1030- 1031- 1032- 1033- 1034- 1035- 1036- 1037- 1038- 1039- 1040- 1041- 1042- 1043- 1044- 1045- 1046- 1047- 1048- 1049- 1050- 1051- 1052- 1053- 1054- 1055- 1056- 1057- 1058- 1059- 1060- 1061- 1062- 1063- 1064- 1065- 1066- 1067- 1068- 1069- 1070- 1071- 1072- 1073- 1074- 1075- 1076- 1077- 1078- 1079- 1080- 1081- 1082- 1083- 1084- 1085- 1086- 1087- 1088- 1089- 1090- 1091- 1092- 1093- 1094- 1095- 1096- 1097- 1098- 1099- 1100- 1101- 1102- 1103- 1104- 1105- 1106- 1107- 1108- 1109- 1110- 1111- 1112- 1113- 1114- 1115- 1116- 1117- 1118- 1119- 1120- 1121- 1122- 1123- 1124- 1125- 1126- 1127- 1128- 1129- 1130- 1131- 1132- 1133- 1134- 1135- 1136- 1137- 1138- 1139- 1140- 1141- 1142- 1143- 1144- 1145- 1146- 1147- 1148- 1149- 1150- 1151- 1152- 1153- 1154- 1155- 1156- 1157- 1158- 1159- 1160- 1161- 1162- 1163- 1164- 1165- 1166- 1167- 1168- 1169- 1170- 1171- 1172- 1173- 1174- 1175- 1176- 1177- 1178- 1179- 1180- 1181- 1182- 1183- 1184- 1185- 1186- 1187- 1188- 1189- 1190- 1191- 1192- 1193- 1194- 1195- 1196- 1197- 1198- 1199- 1200- 1201- 1202- 1203- 1204- 1205- 1206- 1207- 1208- 1209- 1210- 1211- 1212- 1213- 1214- 1215- 1216- 1217- 1218- 1219- 1220- 1221- 1222- 1223- 1224- 1225- 1226- 1227- 1228- 1229- 1230- 1231- 1232- 1233- 1234- 1235- 1236- 1237- 1238- 1239- 1240- 1241- 1242- 1243- 1244- 1245- 1246- 1247- 1248- 1249- 1250- 1251- 1252- 1253- 1254- 1255- 1256- 1257- 1258- 1259- 1260- 1261- 1262- 1263- 1264- 1265- 1266- 1267- 1268- 1269- 1270- 1271- 1272- 1273- 1274- 1275- 1276- 1277- 1278- 1279- 1280- 1281- 1282- 1283- 1284- 1285- 1286- 1287- 1288- 1289- 1290- 1291- 1292- 1293- 1294- 1295- 1296- 1297- 1298- 1299- 1300- 1301- 1302- 1303- 1304- 1305- 1306- 1307- 1308- 1309- 1310- 1311- 1312- 1313- 1314- 1315- 1316- 1317- 1318- 1319- 1320- 1321- 1322- 1323- 1324- 1325- 1326- 1327- 1328- 1329- 1330- 1331- 1332- 1333- 1334- 1335- 1336- 1337- 1338- 1339- 1340- 1341- 1342- 1343- 1344- 1345- 1346- 1347- 1348- 1349- 1350- 1351- 1352- 1353- 1354- 1355- 1356- 1357- 1358- 1359- 1360- 1361- 1362- 1363- 1364- 1365- 1366- 1367- 1368- 1369- 1370- 1371- 1372- 1373- 1374- 1375- 1376- 1377- 1378- 1379- 1380- 1381- 1382- 1383- 1384- 1385- 1386- 1387- 1388- 1389- 1390- 1391- 1392- 1393- 1394- 1395- 1396- 1397- 1398- 1399- 1400- 1401- 1402- 1403- 1404- 1405- 1406- 1407- 1408- 1409- 1410- 1411- 1412- 1413- 1414- 1415- 1416- 1417- 1418- 1419- 1420- 1421- 1422- 1423- 1424- 1425- 1426- 1427- 1428- 1429- 1430- 1431- 1432- 1433- 1434- 1435- 1436- 1437- 1438- 1439- 1440- 1441- 1442- 1443- 1444- 1445- 1446- 1447- 1448- 1449- 1450- 1451- 1452- 1453- 1454- 1455- 1456- 1457- 1458- 1459- 1460- 1461- 1462- 1463- 1464- 1465- 1466- 1467- 1468- 1469- 1470- 1471- 1472- 1473- 1474- 1475- 1476- 1477- 1478- 1479- 1480- 1481- 1482- 1483- 1484- 1485- 1486- 1487- 1488- 1489- 1490- 1491- 1492- 1493- 1494- 1495- 1496- 1497- 1498- 1499- 1500- 1501- 1502- 1503- 1504- 1505- 1506- 1507- 1508- 1509- 1510- 1511- 1512- 1513- 1514- 1515- 1516- 1517- 1518- 1519- 1520- 1521- 1522- 1523- 1524- 1525- 1526- 1527- 1528- 1529- 1530- 1531- 1532- 1533- 1534- 1535- 1536- 1537- 1538- 1539- 1540- 1541- 1542- 1543- 1544- 1545- 1546- 1547- 1548- 1549- 1550- 1551- 1552- 1553- 1554- 1555- 1556- 1557- 1558- 1559- 1560- 1561- 1562- 1563- 1564- 1565- 1566- 1567- 1568- 1569- 1570- 1571- 1572- 1573- 1574- 1575- 1576- 1577- 1578- 1579- 1580- 1581- 1582- 1583- 1584- 1585- 1586- 1587- 1588- 1589- 1590- 1591- 1592- 1593- 1594- 1595- 1596- 1597- 1598- 1599- 1600- 1601- 1602- 1603- 1604- 1605- 1606- 1607- 1608- 1609- 1610- 1611- 1612- 1613- 1614- 1615- 1616- 1617- 1618- 1619- 1620- 1621- 1622- 1623- 1624- 1625- 1626- 1627- 1628- 1629- 1630- 1631- 1632- 1633- 1634- 1635- 1636- 1637- 1638- 1639- 1640- 1641- 1642- 1643- 1644- 1645- 1646- 1647- 1648- 1649- 1650- 1651- 1652- 1653- 1654- 1655- 1656- 1657- 1658- 1659- 1660- 1661- 1662- 1663- 1664- 1665- 1666- 1667- 1668- 1669- 1670- 1671- 1672- 1673- 1674- 1675- 1676- 1677- 1678- 1679- 1680- 1681- 1682- 1683- 1684- 1685- 1686- 1687- 1688- 1689- 1690- 1691- 1692- 1693- 1694- 1695- 1696- 1697- 1698- 1699- 1700- 1701- 1702- 1703- 1704- 1705- 1706- 1707- 1708- 1709- 1710- 1711- 1712- 1713- 1714- 1715- 1716- 1717- 1718- 1719- 1720- 1721- 1722- 1723- 1724- 1725- 1726- 1727- 1728- 1729- 1730- 1731- 1732- 1733- 1734- 1735- 1736- 1737- 1738- 1739- 1740- 1741- 1742- 1743- 1744- 1745- 1746- 1747- 1748- 1749- 1750- 1751- 1752- 1753- 1754- 1755- 1756- 1757- 1758- 1759- 1760- 1761- 1762- 1763- 1764- 1765- 1766- 1767- 1768- 1769- 1770- 1771- 1772- 1773- 1774- 1775- 1776- 1777- 1778- 1779- 1780- 1781- 1782- 1783- 1784- 1785- 1786- 1787- 1788- 1789- 1790- 1791- 1792- 1793- 1794- 1795- 1796- 1797- 1798- 1799- 1800- 1801- 1802- 1803- 1804- 1805- 1806- 1807- 1808- 1809- 1810- 1811- 1812- 1813- 1814- 1815- 1816- 1817- 1818- 1819- 1820- 1821- 1822- 1823- 1824- 1825- 1826- 1827- 1828- 1829- 1830- 1831- 1832- 1833- 1834- 1835- 1836- 1837- 1838- 1839- 1840- 1841- 1842- 1843- 1844- 1845- 1846- 1847- 1848- 1849- 1850- 1851- 1852- 1853- 1854- 1855- 1856- 1857- 1858- 1859- 1860- 1861- 1862- 1863- 1864- 1865- 1866- 1867- 1868- 1869- 1870- 1871- 1872- 1873- 1874- 1875- 1876- 1877- 1878- 1879- 1880- 1881- 1882- 1883- 1884- 1885- 1886- 1887- 1888- 1889- 1890- 1891- 1892- 1893- 1894- 1895- 1896- 1897- 1898- 1899- 1900- 1901- 1902- 1903- 1904- 1905- 1906- 1907- 1908- 1909- 1910- 1911- 1912- 1913- 1914- 1915- 1916- 1917- 1918- 1919- 1920- 1921- 1922- 1923- 1924- 1925- 1926- 1927- 1928- 1929- 1930- 1931- 1932- 1933- 1934- 1935- 1936- 1937- 1938- 1939- 1940- 1941- 1942- 1943- 1944- 1945- 1946- 1947- 1948- 1949- 1950- 1951- 1952- 1953- 1954- 1955- 1956- 1957- 1958- 1959- 1960- 1961- 1962- 1963- 1964- 1965- 1966- 1967- 1968- 1969- 1970- 1971- 1972- 1973- 1974- 1975- 1976- 1977- 1978- 1979- 1980- 1981- 1982- 1983- 1984- 1985- 1986- 1987- 1988- 1989- 1990- 1991- 1992- 1993- 1994- 1995- 1996- 1997- 1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- 2025- 2026- 2027- 2028- 2029- 2030- 2031- 2032- 2033- 2034- 2035- 2036- 2037- 2038- 2039- 2040- 2041- 2042- 2043- 2044- 2045- 2046- 2047- 2048- 2049- 2050- 2051- 2052- 2053- 2054- 2055- 2056- 2057- 2058- 2059- 2060- 2061- 2062- 2063- 2064- 2065- 2066- 2067- 2068- 2069- 2070- 2071- 2072- 2073- 2074- 2075- 2076- 2077- 2078- 2079- 2080- 2081- 2082- 2083- 2084- 2085- 2086- 2087- 2088- 2089- 2090- 2091- 2092- 2093- 2094- 2095- 2096- 2097- 2098- 2099- 2100- 2101- 2102- 2103- 2104- 2105- 2106- 2107- 2108- 2109- 2110- 2111- 2112- 2113- 2114- 2115- 2116- 2117- 2118- 2119- 2120- 2121- 2122- 2123- 2124- 2125- 2126- 2127- 2128- 2129- 2130- 2131- 2132- 2133- 2134- 2135- 2136- 2137- 2138- 2139- 2140- 2141- 2142- 2143- 2144- 2145- 2146- 2147- 2148- 2149- 2150- 2151- 2152- 2153- 2154- 2155- 2156- 2157- 215

4. संस्थान को कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री. राजेश शर्मा श्री. नारायण शर्मा	समान सेवा	सतानन्द कॉलोनी मण्डावर	उपाध्यक्ष
2.	श्री. मीरा शर्मा श्री. अमित शर्मा	उ	हॉस्पिटल रोड मण्डावर	उपाध्यक्ष
3.	श्री. मीरा शर्मा श्री. अमित शर्मा	शि. सं. क.	हॉस्पिटल रोड मण्डावर	सचिव
4.	श्री. मीरा शर्मा श्री. अमित शर्मा	समाज सेविका	हॉस्पिटल रोड मण्डावर	उप. मंत्री
5.	श्री. मुकेश बिलारी श्री. अमित शर्मा	निर्मा कार्य	चरबी रेसिडा मण्डावर	सचिव
6.	श्री. मीरा शर्मा श्री. अमित शर्मा	शिक्षा विद	सतानन्द कॉलोनी मण्डावर	सह कोषाध्यक्ष
7.	श्री. सुगत किशोर श्री. अमित शर्मा	रूग्णी	बाली भौतलगा मण्डावर	सदस्य
8.	श्री. अमर शर्मा श्री. अमित शर्मा	रूग्णी	कनावड तह. मण्डावर	5
9.	श्री. मीरा शर्मा श्री. अमित शर्मा	समाज सेविका	हॉस्पिटल रोड मण्डावर	5

श्री. राजेश शर्मा
अध्यक्ष

श्री. मीरा शर्मा
मंत्री

श्री. मुकेश बिलारी

सचिव
कोशलया देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, नौसा (राज.)

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.	श्रीमती शांती देवी शर्मा ज/० श्री दिनेश कुमार शर्मा	समाज सेविका	पारनर रोड भंडारा	६
11.	वैभूत सिंह ज/० श्री निरंजन सिंह	कृषि	श्री विपिन कुमार शर्मा भंडारा	७
12.				
13.				
14.				
15.				



अंजलि हाथरानी
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मंत्री

सुने राजिहारी
कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे राजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री गंगा सहाय शर्मा जि. नारायण, शर्मा	समान सेवी	सतानन्द कॉलोनी मण्डावर	गंगासहाय
2.	श्री मती शर्मा या शर्मा इत शर्मा	समान सेविका	हॉस्पिटल रोड मण्डावर	मतीशर्मा
3.	श्री केशव शर्मा इत शर्मा	शिक्षक विद	हॉस्पिटल रोड मण्डावर	
4.	श्री मीरा शर्मा श्री पतिशान चन्द शर्मा	समान सेविका	हेली फोन सभसचंज के पास मण्डावर	मीरा
5.	श्री. मुकेश बिहारी शर्मा श्री गंगा सहाय शर्मा	निजी व्यवसाय	परुवी राजिया मण्डावर जिला - वैसा	मुकेश
6.	श्री मती देखा शर्मा श्री अमित शर्मा	शिक्षा विद	सतानन्द कॉलोनी मण्डावर जिला - वैसा	देखा
7.	श्री जुगल किशोर श्री श्री कन्हैयालाल शर्मा	कृषि	माली मौलवा मण्डावर (वैसा)	जुगल
8.	" अमर चन्द शर्मा श्री एन जीत शर्मा	कृषि	गनावड रू. मंतवा जिला - वैसा	अमर शर्मा
9.	उर्मिला शर्मा श्री विजय-रू इत शर्मा	समान सेविका	हेली फोन सभसचंज के पास मण्डावर (वैसा)	उर्मिला


8

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

मुकेश कि
कोषाध्य

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, वैसा (राज०)

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.	श्रीमती शारदा शर्मा ज/० श्री दिनेश कु. शर्मा	समाज सेविका	पारलर रोड भंडावर	५
11.	वैभूत सिंह ज/० श्री निरंजन सिंह	कृषी	श्री लाला राम शर्मा भंडावर 	५
12.				
13.				
14.				
15.				

गंगाधर शास्त्री
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

सुनेरा विहारी
कोषाध्यक्ष


सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री जेजा सहाय शर्मा जि. नारायण, राजा	समान सेवी	सतानन्द कॉलोनी मण्डावर	जेजाशर्मा
2.	श्रीमती माया शर्मा इत शर्मा	समान सेविज्ञा	हॉस्पिटल रोड मण्डावर	मायाशर्मा
3.	श्रीमती कनका शर्मा श्रीमती इत शर्मा	शिक्षक विद	हॉस्पिटल रोड मण्डावर	
4.	श्रीमती मोरा शर्मा श्री मोरा शर्मा	समान सेविका	टेली फोन सचसचंज के पास मण्डावर	मोराश
5.	श्री. मुकुंदा बिठारी शर्मा श्री जेजा सहाय शर्मा	निर्जी व्यवसाय	चरुकी राखिया मण्डावर जिला - दौसा	मुकुंदाशर्मा
6.	श्रीमती रेखा शर्मा श्री अमित शर्मा	शिक्षा विद	सतानन्द कॉलोनी मण्डावर जिला - दौसा	रेखाश
7.	श्री जुगल किशोर श्री श्री क. देसाय श्री श्री	कृषि	माली मौलवा मण्डावर (दौसा)	जुगल
8.	श्री अमर चन्द शर्मा श्री राजा जीवा	कृषि	बनावड त्त भतवा जिला - दौसा	अमर शर्मा
9.	श्रीमती शर्मा श्री श्रीमती इत शर्मा	समान सेविका	टेली फोन सचसचंज के पास मण्डावर (दौसा)	श्रीमती

जेजासहायशर्मा
अध्यक्ष

मोरा शर्मा
पत्री

मुकुंदाशर्मा
कोषाध्यक्ष

सचिव

कोशिका देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज.)

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10.	श्री गता शारदाशर्मा श्री श्री गताशरण शर्मा	शागाज शैविकी (प्रधान- प.स. मन्दा)	पारवश रोड मण्डावर जिला दौसा	श्री गताशर्मा
11.	श्री श्री गताशरण शर्मा	कृषि	होस्पिटल रोड मण्डावर जिला दौसा	श्री गताशर्मा
12.	श्री श्री गताशरण शर्मा श्री श्री गताशरण शर्मा	निजी व्यवसाय	आगरा रोड फाटक के पास मण्डावर (दौसा)	राजेंद्र कुमार
13.	श्री स्वयं राज शर्मा श्री बाबू लाल	निजी व्यवसाय	सतान-व कोलोनी मण्डावर (दौसा)	स्वयं राज
14.	श्री नरेंद्र नाथ शर्मा श्री रामेश्वर दयाल शर्मा	वैजिक स्टोर	सुनार कोलोनी मण्डावर जिला दौसा	नरेंद्र शर्मा
15.	श्री बाबू लाल शर्मा श्री भोजी लाल	सरकारी सेवा	गद रोड मण्डावर (दौसा)	बाबू लाल
16.	श्री हरि किशन वैखा श्री सुख राम वैखा	निजी व्यवसाय	कुम्हार कोलोनी मण्डावर (दौसा)	श्री सुख राम वैखा
17.	श्री नरेश चंद वैखल श्री सुरेश चंद वैखल	निजी व्यवसाय	पुराना वड स्टोड मण्डावर (दौसा)	नरेश चंद वैखल
18.	श्री अश्वमेध कुमार श्री श्री गताशरण शर्मा	व्यवसाय	चरखी रोड मण्डावर (दौसा)	अश्वमेध कुमार

9

श्री गताशरण शर्मा
अध्यक्ष

श्री गताशर्मा
मन्त्री

श्री गताशर्मा
कोषाध्यक्ष

श्री 2

सचिव

कौशल्य देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज.)

क्र. सं.	अनुसूचित जाति का नाम	व्यवसाय	पुर्ण नाम	विवरण
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष


 सचिव
 कौशल्या देवी शिक्षा समिति
 मण्डावर, दोसा (राज.)

क्र.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
38	<p>21/दोसा/2002-2003</p> <p>कोशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर</p> <p>सब पत्रिका पर -</p> <p>09.11.2002</p> <p><i>(Signature)</i></p>			
39				
40				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे सामने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि ये हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।



(साक्षी)

(Signature)

वकिट हस्ताक्षर प्रमारी
उपरोक्त व्यवसाय/पूर्ण पता
जिला दोसा

IDENTIFIED BY
राजेश कुमार
हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

ATTESTED
18/11/02
ROYALY PUDDE
RAJWADE SANSODHAN MANDAL

नोट : शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कयना होगा।

गंगाश्याम शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

जुवे हा पिता
कोषाध्यक्ष

इसे प्रति प्रमाणित मंडलन विचार के अनुसार है।
हस्ताक्षर पढ़ने धार के...
हस्ताक्षर पढ़ने धार के...
नकल है...
राजेश कुमार
24/11/02
3/11/02

(Signature)
सचिव
कोशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दोसा (राजो)

कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय हॉस्पिटल रोड मण्डावर
तथा कार्यक्षेत्र:- राजस्थान है
तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत लिखित शिक्षा के सिद्धांतों को अंगीकृत करते हुए सभी वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा अग्रगण्य रूप से प्राप्त करने के लिए शिक्षा का स्तर उन्नत करना
2. साहित्य सामग्री तैयार करना एवं बस डीन में उपयोग अनुसन्धान करना, शिक्षा के उच्चारण उच्चारण के लिए प्राथमिक उच्च शिक्षा तथा तकनीकी एवं चिकित्सा भाषा के क्षेत्र में संस्थाएँ स्थापित करना
3. समाज के विकास के लिए आवश्यक साहित्य का सृजन सम्पादन एवं प्रकाशन करना एवं सभी प्रकार की स्तुतिपूर्ण एवं आवश्यक प्रवृत्तियों का संयोजन एवं कार्य करना
4. प्रेषण नियंत्रण एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना।
5. विभिन्न खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

13

कासदाशर
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मंत्री

मुनेरकिरी
वोधाध्यक्ष

सचिव

कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

5. धोत्रावासी, वाचनालय, पुस्तकालय का संचालन करना।

6. महिलाओं एवं बच्चों में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास को गति प्रदान करना।
एवं उनके विकास के लिए व्याक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए साधक प्रयास करना।

7. शिष्टाचार प्रसार एवं संरक्षण हेतु समुचित व्यक्तियों तथा आसक्ति महिलाओं एवं विकलांग वृद्ध असहाय तथा निराश्रित बच्चों के लिए विभिन्न कल्याणकारी सामाजिक कार्य आदि प्रबन्ध एवं संचालन करना जिससे अधिक उत्थान हो सके।

8. संचालित कार्य क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक सहित व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सामाजिक एवं आर्थिक शिक्षा प्रदान करने एवं उसकी उन्नति के लिए प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय, कम्प्यूटर शिक्षा तकनीकी शिक्षा, मेडिकल, इंटरनल बी-फार्मा, जीफार्मा शारीरिक शिक्षा एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना।

9. वे सभी कार्य करना जो संस्थान के विकास एवं उद्देश्यों की पूर्ति को सहायक हो।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

श्री. गणेश प्रसाद
अध्यक्ष

श्री. राम
पत्री

श्री. रामेश्वर

सचिव
कौशलदा देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दोसा (राज.)

4. सदायता :-

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदाय बन सकेंगे:-

- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
- 2- यालिंग हों।
- 3- पागल, दौबालिये न हों।
- 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
- 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

सदस्यों का वर्गीकरण :-

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- 1- संरक्षक
- 2- विशिष्ट
- 3- सम्माननीय
- 4- साधारण

(जो लागू न हो, उसे कोट करिये दा.क.)



6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व घन्टा :-

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व घन्टा देय होंगा :-

1- संरक्षक	राशि	वार्षिक आयुष्म
2- विशिष्ट	राशि 50/-	वार्षिक आयुष्म
3- सम्माननीय	राशि 25/-	वार्षिक
4- साधारण	राशि 10/-	वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. उपरोक्त कि.सी.दि. की धारिका की दर से जमा कराई जा सकेंगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :-

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

- 1- मृत्यु होने पर
- 2- त्याग-पत्र देने पर
- 3- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4- प्रवन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

गंगाश्याम देवी
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

गंगाश्याम देवी
कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
भण्डावर, मौसा (राज०)

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा :- संस्था के उपनिषय संख्या 5 में वर्णित समस्या प्रकार के सदस्य पिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :- साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-
- 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
 - 2- वार्षिक बजट पारित करना।
 - 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठक :- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

- 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
- 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
- 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर तक 15 सदस्यों में से कोई भी 3 राटाय नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

सचिव

कौशल्या देवी शिक्षा समिति
गण्डावर, दोसा (राज०)

11. कार्यकारिणी का गठन :-

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक
2. उपाध्यक्ष-एक
3. मन्त्री-एक
4. श्रोताध्यक्ष-एक
5. सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 4 + 2 पदाधिकारी व सदस्य कुल सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
- 2- चुनाव अध्यक्ष, अतिरिक्त, प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी को नियुक्त प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :-

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा पुस्तक बनाना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप सपलियां बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

17

गंगाशंकर शर्मा
अध्यक्ष

मो. रा. शर्मा
मन्त्री

सुदेश कुमार
उपाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, पौसा (राज.)

14. कार्यकारिणी की बैठकें :-
- 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती हैं।
 - 2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
 - 3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक का सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
 - 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकती जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-



- 1- संस्था की अध्यक्षता करना।
- 2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
- 3- बैठकें आहूत करना।
- 4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- 5- संबिदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

- 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- 2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मंत्री :

- 1- बैठकें आहूत करना।
- 2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

जोगासाहापुत्रम्,
अध्यक्ष

गीता शर्मा
मंत्री

सुनेरा बिहारी
सचिव

सचिव

कौला देवी शिक्षा समिति
बनारस, दौसा (राज०)

- 2- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
- 5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- 6- पत्र व्यवहार करना।
- 7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

- 1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
- 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष

- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- 2- दैनिक लेखा-जोखा नियन्त्रण रखना।
- 3- चालू लेखा-जोखा आदि प्राप्त कर रसीद देना।
- 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

- 1- चन्द्र
 - 2- शुल्क
 - 3- अनुदान
 - 4- सहायता
 - 5- राजकीय अनुदान
- 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
 - 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

मुन्देश्वरि हारी

सचिव

कौशल्या देवी शिक्षा समिति
गण्डावर, दीसा (राज०)

17. कोष सम्बन्धी
विधायिका :-

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी
संस्था की राशि एक पुरत स्वीकृत कर सकेंगे :-

- 1-अध्यक्ष 5,000/-
- 2-मंत्री 3,000/-
- 3-कोषाध्यक्ष 2,000/-

उपरोक्त राशि का अनुपादन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक
की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जाएगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :-

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार
संस्थाएँ को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान
में परिवर्तन :-



संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3
बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेंगा जो राजस्थान संस्था
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का
विघटन :-

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति
समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।
रजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे
का निरीक्षण :-

रजिस्ट्रार संस्थाएँ को संस्था के रकार्ड का निरीक्षण/जांच
करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों को पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमवली)

महाविद्यालय
श्रीश्या

समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

कौशल्या देवी समिति

गंगा सहामश्री
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मंत्री

मुनेश विहारी
कोषाध्यक्ष

20

- (1) अध्यक्ष
- (2) मंत्री
- (3) कोषाध्यक्ष
- (4) सचिव
- (5) निरीक्षक

मीरा शर्मा
मंत्री
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
गण्डावर, दौसा (राज०)
24/11/2022

मुनेश विहारी
कोषाध्यक्ष

सचिव

कौशल्या देवी शिक्षा समिति
गण्डावर, दौसा (राज०)

शपथ-पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकृत अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था को राजस्थान के शापथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि:-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था के पंजीयन हेतु कुल आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं हैं।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तरह की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकारा में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।



जिगासहायशर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मंत्री

सुन्दरापित्री
कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकारा में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

जिगासहायशर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मंत्री

सुन्दरापित्री
कोषाध्यक्ष

नोट : यह शपथ पत्र रुपये 5/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

जिगासहायशर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मंत्री

सुन्दरापित्री
कोषाध्यक्ष

सचिव

कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था

के शपथ ग्रहण करते हैं कि:-

1. हमारी संस्था का पंजीयन सं. दिनांक
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य हैं।
3. संस्था की आम सभा दिनांक को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई हैं जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबंधकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।
6. संस्था को कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक की सूचना का नोटिस दिनांक को समस्त सदस्यों को सूचना जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

गंगाश्याम शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मंत्री

अनुराज बिहारी
कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहण सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

गंगाश्याम शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मंत्री

अनुराज बिहारी
कोषाध्यक्ष

नोट : यह शपथ पत्र रुपये 5/- के स्टैम्प पर होगा तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

22

गंगाश्याम शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मंत्री

अनुराज बिहारी
कोषाध्यक्ष

सचिव

कौशल्या देवी शिक्षा समिति
समाज, दोसा (राज०)

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएँ प्रस्तुत करें

1. संस्था को कार्यकारिणों द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्तन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।
		=			

3. संस्था को उक्त बैठक को कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद संस्था को बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
5. बैठक को कार्यवाही की सत्य प्रति।
6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्युक्ति की प्रमाणित प्रति।
7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र
हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1956 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।
8. दुर्लभात्मक स्टेटमेंट निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान को तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।
10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।


सचिव
 कौशलया देवी शिक्षा समिति
 मण्डावर, दोसा (राज०)